फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द

सरकार जरिये तहसीलदार, नाथद्वारा

— प्रार्थी

बनाम

1 श्री भंवरसिंह पिता श्री भूरसिंह राजपूत निवासी मादरेचों का गुडा तहसील नाथद्वारा
2. श्रीमती दोल बाई बेवा भुरसिंह राजपूत निवासी मादरेचों का गुडा तहसील नाथद्वारा

— अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा— प्रार्थना पत्र रेफरेन्स धारा 82 **पत्रावली संख्या 13/2012**

कमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 14.12.2017 पत्रावली प्रस्तुत हुई। राजकीय अधिवक्ता द्वारा मेरिट पर की गई बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार, नाथद्वारा द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के इस न्यायालय में दिनांक 18.09.2012 को पेश कर यह अनुरोध किया गया कि ग्राम मादरेचों का गुडा तहसील नाथद्वारा में स्थित खसरा नं0 3111 रकबा 00.03 बीघा किस्म बंजड भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अप्रार्थीगण के खाते दर्ज है। उक्त भूमि के गत भू–माप के आराजी नं0 2717 मि0 होकर रकबा 02.14 बीघा किस्म प–II, 02.08 बीघा व नाडा 00.06 बीघा था जो जमाबंदी सम्वत् 2010 एवं खसरा पत्रक सम्वत 2022 से स्पष्ट है। अप्रार्थीगण के खाते वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अंकित भूमि 02.03 बीघा मे से रकबा 00.05 बीघा भूमि नक्शा ट्रेस अनुसार किस्म नाडा भूमि होने से माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण संख्या 1536/2003 डी0बी0 सिविल रिट पिटीशन में पारित निर्णयानुसार उक्त 00.05 बीघा नाडा भूमि होने से इस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत आवंटन/नियमन अथवा खातेदारी/गैर खातेदारी अधिकार के लिये प्रतिबंधित होने से पुनः राजस्व अभिलेख में बिलानाम नाडा दर्ज करवाये जाने का आदेश प्रदान करावें।	

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से प्रकट है कि भू–प्रबंध विभाग के आदेश दिनांक 17.11.1970 के द्वारा जरिये मिसल नं0 342/70 पर अप्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी श्री भूरसिंह पिता रतनसिंह राजपूत के नाम वादग्रस्त भूमि का इन्द्राज दुरस्ती के तहत राजस्व रेकार्ड में अंकित की गई, जो इनकी मृत्यु उपरान्त अप्रार्थीगण के खाते दर्ज हुई है। मेवाड सेटलमेन्ट की जमाबंदी में उक्त भूमि खसरा नम्बर 2717 रकबा 02.14 बीघा किस्म प–II, 02.08 बीघा व किस्म नाडा 00.06 बीघा दर्ज है। उक्त मामले में तहसीलदार, नाथद्वारा ने अप्रार्थीगण के खाते अंकित भूमि मे से 00.05 बीघा भूमि का नक्शा ट्रेस संलग्न करते हुए इसे नाडा भूमि होना मानकर राजस्व अभिलेख में अप्रार्थीगण के खाते से हटाकर पुनः किस्म नाडा दर्ज करवाना चाहा गया। किन्तु प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि तहसीलदार, नाथद्वारा के द्वारा किस्म नाडा भूमि होने के संबंध में वर्तमान नक्शा ट्रेस में दर्शायी गयी भूमि ही क्या नाड़ा भूमि हैं इसे मेवाड सेटलमेन्ट के नक्शा ट्रेस के द्वारा तुलनात्मक रुप से प्रमाणित करवाना चाहिए था जो कि नहीं किया गया। अतः ऐसी स्थिति में हम इस मामले में वादग्रस्त भूमि का नाड़ा भूमि होने के सम्बंध्ध में पुनः जांच कर नये सिरे से रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करवाया जाना उचित समझते है।

तहसीलदार, नाथद्वारा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रेफरेन्स को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है । प्रकरण तहसीलदार, नाथद्वारा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मामले में बाद जांच मौका स्थिति अनुसार मेवाड सेटलमेन्ट के नक्शा ट्रेस व वर्तमान नक्शा ट्रेस में भूमि को दर्शित करते हुए नाडा भूमि होने की पुष्टि की जावे एवं यदि मामला रेफरेन्स योग्य पाया जाता है तो पुनः नये सिरे से प्रार्थना पत्र रेफरेन्स तैयार कर विधि अनुसार प्रस्तुत किया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफतर हों।

(पी0सी0 बेरवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द